नम्बर / वर्ष 158 / 2018 अनवानी बुटासिह बनाम रामचन्द्र आदि

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
26/11/25	पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,9 सपठित धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी / प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की हस्तगत दावा का प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र पुत्र जगुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में अकितानुसार है जिन्हे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है किसी मृतक के पक्ष में निर्णय ना ही मृतक के विरूद्व निर्णय किया जा सकता है इसलिये मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के जायज वारिसान प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 के अनुसार पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है वादीगण गरीब छोटे काश्तकार है तथा देहाती व अनपढ है तथा उन्हे कानुनी अडचनों का ज्ञान नही है इसलिये मृतक रामचन्द्र की जगह उसके जायज वारिसान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है तथा अपने मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की मृतक रामचन्द्र का देहान्त पांच छ माह पुर्व हो चुका है वादीगण को ज्ञान नही था कि जब कोई पक्षकार की मृत्यू हो जाती है तो उसके वारिसान को पक्षकार बनाया जाना होता है वादीगण की अज्ञानता के कारण प्रार्थना पत्र पेश करने में देरीना हुई है वादीगण अपने अधिवक्ता से मिलने पर प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यू का बताने पर यह प्रार्थना पत्र देरीना से पेश किया गया है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है वादीगण / प्रार्थीगण की अज्ञानता के कारण प्रार्थना पत्र देरीना से पेश किया गया देरीना को माफ किया जाकर प्रार्थीगण / वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर वाद में आगामी कार्यवाही फरमावे। प्रतिवादी राजपाल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द के देहान्त होने की सुचना वादीगण के अधिवक्ता को दिनांक 30.04.2024 से पूर्व ही दी जा चुकी थी तथा प्रार्थीगण / वादीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित प्रतिवादी संख्या 1/7 सुरेश पुत्र दयाल पुत्र रामचन्द का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सरोज पत्नि सुरेश पुत्र दयाल , लवप्रीत पुत्र सुरेश , मुस्कान पुत्री सुरेश को कायम मुकाम नही बनाया गया है प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अधुरा पेश किया गया है प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है प्रतिवादी संख्या 1 प्रार्थीगण को भाई है यह नही हो सकता कि अपने भाई की मृत्यू या उसके वारिसान की मृत्यू का प्रार्थीगण को ज्ञान नही हो प्रार्थीगण को रामचन्द्र एव उसके वारिसान के देहान्त होने के उपरान्त भी आवश्यक पक्षकारो का पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र ज्ञान होते हुए भी देरीना से पेश किया गया है प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एव वाद वादीगण अवैट हो जाने के कारण खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्यन किया प्रार्थीगण / वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,9 सीपीसी पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण अनपढ एवं देहाती है जिसके कारण ... प्रार्थना पत्र पेश नही किया जा सकता है अनपढ होने के ... पेश किया गया है प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र ... है क्योंकि प्रार्थीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त कब हुआ है और कितनी देरीना से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है का उल्लेख नही किया गया है प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त 02.01.2024 को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:52:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हुआ था जिसकी सुचना प्रतिवादी के द्वारा न्यायालय को देने पर न्यायालय द्वारा वादीगण/प्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिनांक 30.04.2024 को अवगत करवाया दिया गया था

न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण के अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या 1 के देहान्त की सुचना देने के उपरान्त वादीगण के अधिवक्ता का दायित्व था कि वह अपने पक्षकारो से सम्पर्क करता या प्रार्थीगण/वादीगण को अवगत करवाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही करता किन्तु वादीगण/प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कोई कार्यवाही नही की गई तथा न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशीयो पर भी प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का निर्देश दिया जाता रहा है इसप्रकार प्रार्थीगण/वादीगण या उसका अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 के देहान्त होने की सुचना के सम्बध में कोई उज्र नही कर सकता है ना ही मियाद के सम्बध में कोइ उज्र कर सकता है क्योकि प्रार्थीगण/वादीगण के अधिवक्ता को न्यायालय ने समय पर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु सुचित /निर्देशित करने के उपरान्त भी समय पर पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही नही की गई है जो विधि सम्मत नही है

प्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,9 सीपीसी भी अधुरा पेश किया गया है प्रार्थीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थीगण /वादीगण को प्रार्थना पत्र अपूर्ण है क्याकि प्रार्थीगण/वादीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित प्रतिवादी संख्या 1/7 के सुरेश पुत्र दयाल पुत्र रामचन्द्र के वारिसान उसके पत्नि सरोज , पुत्र लवप्रीत , पुत्री मुस्कान को पक्षकार नही बनाया गया है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण प्रार्थीगण /वादीगण को प्रार्थना पत्र अपूर्ण है

प्रार्थीगण /वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस सुरेश पुत्र दयाल पुत्र रामचन्द्र के देहान्त होने का पूर्ण ज्ञान था जो इस तथ्य से साबित होता है कि प्रार्थीगण स्वय ने सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद की प्रति पेश की गई है जिसमें वादीगण स्वय ने सुरेश पुत्र दयाल के वारिसान को पक्षकार बना रखा है इसप्रकार प्रार्थीगण ने ज्ञान होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,9 सीपीसी न्यायालय के द्वारा सुचित करने के उपरान्त भी काफी देरीना से प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 एव उसके वारिसान के देहान्त होने का ज्ञान होने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है अधुरा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य नही है।

अतः प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 ,9 सीपीसी न्यायालय की सूचना के उपरान्त भी देरीना से पेश करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाने के कारण अपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वाद वादीगण अबैट हो जाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया ।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:52:23 IST
Reason: SelfAttested